

&gt;

Title: Request the government to re- include Pali language in Civil Service Examination conducted by UPSC.

**डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं पाली भाषा का विषय सदन में रखना चाहती हूं। पाली का इतिहास सबसे प्राचीन भाषा होने की पुष्टि करता है। ऐसी मान्यता है कि संस्कृत और पाली दोनों ही प्राचीन और समकालीन भाषाएं हैं। पाली भाषा का बृहद साहित्य है। पाली भाषा के लिखित प्रमाण लेख, शिलालेख, पाण्डुलिपियां आदि हैं। यहां तक कि सम्राट अशोक के शिलालेखों, स्तंभ में भी पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा की परीक्षा में पाली भाषा काफी लंबे समय से यानी वर्ष 2012 तक रही है, लेकिन नोटिफिकेशन संख्या 04/2013 सीएसपी के अनुसार 5 मार्च, 2013 के आगामी वर्ष 2013 से इसे परीक्षा से हटा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा से पाली भाषा के विषय को हटाया जाना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना है। लगभग 55 विश्वविद्यालयों में पाली और बौद्ध विषयों पर अध्ययन हो रहा है। विदेश को छोड़कर सिर्फ भारत में प्रतिवर्ष नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि सिविल सेवा परीक्षा में यह भाषा पुनः लाई जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती रेखा वर्मा और श्री जगदम्बिका पाल को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

।